प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ – 11

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला. चौकी,एसीबी, स्पेशल यूनिट अजमेर ....थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2023...
प्र. इ. रि. स. .... 160/2023 .... दिनांक 22/6/2023

2. (अ) अधिनियम ... भ्र0नि0अधिनियम(यथा सशोंधन 2018) अधिनियम 1988 ......धारायें...7 पी0सी0 एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018)....
   (ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. ....
   (स) अधिनियम ....धारायें........
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या 351 समय 1:30 P.M.
   (ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 20.02.2023 समय 11.25 ए.एम. ....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 20.02.2023 समय.......10.00 ए.एम........

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक –

5 घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी –एसीबी चौकी स्पेशल यूनिट अजमेर से दक्षिण–पश्चिम दिशा में करीब 130 किलोमीटर........
   (ब) पता – राजकीय चिकित्सालय सोजत सिटी जिला पाली........
   ....बीट सख्या ....जरायमदेही सं........
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना........जिला........

6 परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम.... श्री अल्पेश कुमार शर्मा........
   (ब) पिता का नाम श्री अशोक कुमार शर्मा ....
   (स) जन्म तिथि /वर्ष साल..............29 साल........
   (द) राष्ट्रीयता.........भारतीय ....
   (य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी........जारी होने की जगह........
   (र) व्यवसाय...... ....निजी व्यापार........
   (ल) पता ... वार्ड नं0 10, देव कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर हाल निवासी ईदगाह कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर........

7 ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. श्री जाहिद मौहम्मद पुत्र श्री अब्दुल हमीद जाति मुसलमान उम्र 38 वर्ष निवासी सिलावटो का मौहल्ला ढाल की गली सोजत सिटी जिला पाली हाल नर्सिंग ऑफिसर राजकीय चिकित्सालय सोजत सिटी जिला पाली........

परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही........

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
   ....4,000 रू0 रिश्वत राशि........

10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)........
   ....4,000 रू. रिश्वत राशि ....

11 ....

विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवामें श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, अजमेर विषय रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाने बाबत्। महोदय, निवेदन है कि मै श्री अल्पेश कुमार शर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 29 वर्ष निवासी वार्ड नं0 10 देव कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर हाल निवासी ईदगाह कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर का निवासी हूँ। मेरी धर्मपत्नि कैलाशी रावत जो कि निदेशालय(अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, राज0 जयपुर मे नर्सिंग आफीसर के पद पर पदस्थापन की प्रतीक्षा मे कार्यरत है। इससे पूर्व मेरी पत्नि श्रीमती कैलाशी रावत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोजत रोड पाली मे पदस्थापित थी। जिनको दो वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण होने पर स्थायीकरण किया जाना था। जिसके लिए नियमानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली द्वारा कार्मिको का स्थायीकरण करने हेतु दस्तावेज श्रीमान् निदेशक(अराजपत्रित) जयपुर को दिनांक 6.02.23 को प्रेषित किये गए है। उक्त स्थायीकरण किये जाने को लेकर मेरी पत्नि के मोबाईल नं0 7014875563 पर अन्य मोबाईल नं0 8003821742 से दिनांक 19.02.23 को दोपहर को समय करीब 3 बजे कॉल आया। जिस पर कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम मौहम्मद जाहिद होना बताते हुए स्वयं को नर्सिंग ऑफीसर राजकीय चिकित्सालय सोजत सिटी मे पदस्थापित होना बताकर मेरे से मेरे वाट्सएप नं0 मांगे। जिस पर मेने मेरे वाट्सएप नं0 9784523399 मौहम्मद जाहिद को दिये। कुछ समय पश्चात मौहम्मद जाहिद का मेरे वाट्सएप पर उसी नम्बर से वॉइस कॉल आया तथा मेरी पत्नि के निदेशालय, जयपुर पर स्थायीकरण हेतु लम्बित कार्य को शीघ्र करवाने हेतु मेरे से 4,000 रू0 रिश्वत राशि कार्य को शीघ्र करवाने हेतु मेरे से 4,000 रू0 रिश्वत राशि की मांग की। जिस पर मैंने उक्त व्यक्ति से पुछताछ की तो उसने बताया कि

मेरा निदेशालय जयपुर में पदस्थापित अक्षय से जान पहचान है तथा उसने मुझे श्रीमती कैलाशी के मोबाईल नंबर देकर रिश्वत के संबंध में वार्ता करने हेतु कहा है। मेरी अक्षय से अच्छी जान पहचान है मैंने पहले भी जोधपुर रेंज में पदस्थापित नर्सिंग कर्मचारियों का स्थाईकरण व फिक्शेसन करवाय है मैं जोधपुर रेंज से संबंधित नर्सिंग कर्मचारियों का निदशालय से संबंधित कार्य अक्षय के मार्फत करवाता हूं। आप मुझे कैलाशी रावत के स्थाईकरण करवाने हेतु चार हजार रू. देगें तो मैं आपकी पत्नी का कार्य करवा दूगां अन्यथा आपका कार्य नहीं होगा आप चक्कर काटते रहना, इस पर मैंने उनको मना कर दिया। मै मेरी पत्नि के वाजिब काम करवाने की एवज मे श्री मौहम्मद जाहिद को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ। बल्कि रिश्वत राशि लेते हुए को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। कानूनी कार्यवाही करावें। दिनांक :— 20.02.2023 एसडी श्री अल्पेश कुमार शर्मा निवासी वार्ड नं0 10 देव कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर हाल निवासी ईदगाह कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर। मोबाईल नं0 9784523399

कार्यवाही पुलिस भ्र0नि0ब्यूरो, स्पेशल यूनिट—अजमेर

दिनांक 19.02.23 को भ्र0नि0ब्यूरो, मुख्यालय जयपुर द्वारा संचालित हैल्प लाईन नम्बर 1064 के जरिए उच्चाधिकारियो से सूचना व निर्देश प्राप्त हुए कि परिवादी श्री अल्पेश कुमार शर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा निवासी वार्ड नं0 10 देव कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर हाल निवासी ईदगाह कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर के मोबाईल नम्बर 9784523399 से रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडवाए जाने के सम्बन्ध मे परिवादी से सम्पर्क कर आवश्यक अग्रिम ट्रेप कार्यवाही सम्पादित की जावें। प्राप्त सूचना के आधार पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री अल्पेश कुमार शर्मा के मोबाईल नं0 9784523399 से सम्पर्क किया परिवादी ने अवगत कराया कि मेरी पत्नि श्रीमती कैलाशी जो कि नर्सिंग आफीसर के पद पर चिकित्सा विभाग मे कार्यरत है जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जयपुर पर आदेशों की प्रतीक्षा मे पदस्थापित है जिनका स्थायीकरण हेतु प्रस्ताव सीएचसी सोजत सिटी पाली से चिकित्सा विभाग निदेशालय जयपुर मे भिजवाये गये है, आज दिनांक को समय करीब 3 बजे श्री मौहम्मद जाहिद जो कि अपने आप को चिकित्सा विभाग सोजत सिटी मे नर्सिंग आफीसर पद पर कार्यरत होना बताते हुए मेरे से वाट्सएप वॉइस कॉल द्वारा मेरी पत्नि के कार्य कराने की एवज मे 4,000 रू0 रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को अपनी पत्नि के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज सहित कार्यालय मे उपस्थित आने का कहने पर परिवादी ने दिनांक 20.02.23 को समय 10.00 एएम पर आने बाबत बताया। परिवादी को गोपनीयता रखने की हिदायत की गई। हालात उच्चाधिकारियो को अर्ज किये गए। दिनांक 20.02.23 समय 10.00 एएम पर परिवादी श्री अल्पेश कुमार शर्मा उपस्थित कार्यालय आए। परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि "मैं श्री अल्पेश कुमार शर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 29 वर्ष निवासी वार्ड नं0 10 देव कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर हाल निवासी ईदगाह कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर का निवासी हूँ। मेरी धर्मपत्नि कैलाशी रावत जो कि निदेशालय(अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0 जयपुर मे नर्सिंग आफीसर के पद पर पदस्थापन की प्रतीक्षा मे कार्यरत है। इससे पूर्व मेरी पत्नि श्रीमती कैलाशी रावत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोजत सिटी पाली मे पदस्थापित थी। जिनको दो वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण होने पर स्थायीकरण किया जाना था। जिसके लिए नियमानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली द्वारा कार्मिको का स्थायीकरण करने हेतु दस्तावेज श्रीमान् निदेशक(अराजपत्रित) जयपुर को दिनांक 6.02.23 को प्रेषित किये गए है। उक्त स्थायीकरण किये जाने को लेकर मेरी पत्नि के मोबाईल नं0 7014875563 पर अन्य मोबाईल नं0 8003821742 से दिनांक 19.02.23 को दोपहर को समय करीब 3 बजे कॉल आया। जिस पर कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम श्री मौहम्मद जाहिद होना बताते हुए स्वयं को नर्सिंग ऑफीसर राजकीय चिकित्सालय सोजत सिटी मे पदस्थापित होना बताकर मेरे से मेरे वाट्सएप नं0 मांगे। जिस पर मेने मेरे वाट्सएप नं0 9784523399 श्री मौहम्मद जाहिद को दिये। कुछ समय पश्चात श्री मौहम्मद जाहिद का मेरे वाट्सएप पर उसी नम्बर से वॉइस कॉल आया तथा मेरी पत्नि के निदेशालय, जयपुर पर स्थायीकरण हेतु लम्बित कार्य को शीघ्र करवाने हेतु मेरे से 4,000

रू0 रिश्वत राशि की मांग की। जिस पर मैंने उक्त व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरा निदेशालय जयपुर में पदस्थापित अक्षय से जान पहचान है तथा उसने मुझे श्रीमती कैलाशी के मोबाईल नंबर देकर रिश्वत के संबंध में वार्ता करने हेतु कहा है। मेरी अक्षय से अच्छी जान पहचान है मैंने पहले भी जोधपुर रेंज में पदस्थापित नर्सिंग कर्मचारियों का स्थाईकरण व फिक्शेसन करवाया है। मैं जोधपुर रेंज से संबंधित नर्सिंग कर्मचारियों का निदेशालय से संबंधित कार्य अक्षय के मार्फत करवाता हूं। आप मुझे कैलाशी रावत के स्थाईकरण करवाने हेतु चार हजार रू. देगें तो मैं आपकी पत्नी का कार्य करवा दूगां अन्यथा आपका कार्य नहीं होगा आप चक्कर काटते रहना, इस पर मैंने उनको मना कर दिया। मै मेरी पत्नि के वाजिब काम करवाने की एवज मे श्री मौहम्मद जाहिद को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ। बल्कि रिश्वत राशि लेते हुए को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। कानूनी कार्यवाही करावें।" उपरोक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न परिवादी ने अपनी पत्नि श्रीमती कैलाशी रावत के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज0 जयपुर मे पदस्थापन आदेश की प्रतिया एवं कार्यग्रहण करने से सम्बन्धित आदेश की प्रति, स्थायीकरण बाबत भिजवाये गए प्रस्ताव की प्रति प्रस्तुत की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तोजो के अवलोकन उपरान्त परिवादी से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के बारे में मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दरियाफ्त की जाकर प्रस्तुतशुदा रिपोर्ट मे अंकित तथ्यों की पुष्टि होने पर परिवादी ने अपनी पत्नि के वाजिब कार्य के बदले मे रिश्वत राशि नहीं देकर कानूनी कार्यवाही करवा रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों पकडवाने बाबत बताया। उक्त प्रार्थना पत्र परिवादी श्री अल्पेश ने स्वयं की हस्तलिपि मे लिखा होना बताते हुए प्रार्थना पत्र पर अपने स्वयं के हस्ताक्षर होना अवगत कराते हुए स्वयं को टाईल्स सम्बन्धी व्यापार करना बताया तथा उक्त समस्त कार्यवाही अपनी पत्नि श्रीमती कैलाशी देवी से बाद सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वयं द्वारा किया जाना अवगत कराया। दरियाफ्त मे परिवादी से आरोपी श्री मौहम्मद जाहिद व श्री अक्षय से वार्ता कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु कहा गया तो उसने अवगत कराया कि श्री मौहम्मद जाहिद द्वारा ही मेरे से जरिए वाट्सएप कॉल वार्ता करने हेतु अवगत कराया है तथा वार्ता के दौरान स्वयं ने अक्षय से वार्ता की जाना बताया। अब आरोपी श्री मौहम्मद जाहिद ही मेरे से रिश्वत राशि मांग सत्यापन के बारे मे वार्ता करेगा। परिवादी श्री अल्पेश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन करने एवं परिवादी से पूछताछ करने पर उसमे अंकित तथ्यों की पुष्टि की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों के आधार पर मामला पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018) का गठित होने की संभावना होने से प्रक्रियानुसार रिश्वत राशि मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से मन् उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय की आलमारी से डिजीटल वॉइस रेकार्डर निकालकर नया मैमोरी कार्ड ईश्यू करवाकर परिवादी श्री अल्पेश को वॉइस रेकार्डर चालू व बंद करने की समझाईश की। तत्पश्चात समय करीब 11.25 एएम पर एसीबी कार्यालय स्पेशल यूनिट–अजमेर मे ही परिवादी के मोबाईल नं0 9784523399 से आरोपी श्री मौहम्मद जाहिद के मोबाईल नं0 8003821742 पर जरिए वाट्सएप वॉइस कॉल मिलवाया जाकर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर कार्यालय के डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड संधारित करवाकर दोनो के मध्य हुई वार्ता रेकार्ड की गई। रेकार्ड वार्ता को चालु कर सुना गया तो आरोपी ने परिवादी की पत्नि श्रीमती कैलाशी नर्सिंग आफीसर के निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज0 जयपुर से स्थायीकरण करवाने की एवज मे 4,000 रू0 की मांग की तथा श्री अक्षय से वार्ता करने हेतु ईन्कार किया एवं सम्पूर्ण कार्य स्वयं द्वारा ही अक्षय के मार्फत करवाया जाने की ताईद हुई। परिवादी से अक्षय से वार्ता करने हेतु कहा गया तो उसने बताया कि मै व मेरी पत्नि अक्षय को नहीं जानते है। पूछताछ करने पर उसकी पत्नि ने अक्षय को निदेशालय(अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर मे नर्सिंग कर्मचारियों के कार्य करने हेतु सम्बन्धित ब्रांच मे पदस्थापित होने की जानकारी दी गई तथा उसके मोबाईल नं0 के बारे मे कोई जानकारी नहीं होना बताया। परिवादी व आरोपी श्री मौहम्मद जाहिद के मध्य वाट्सएप वॉइसकॉल पर कराई गई वार्ता को कार्यालय के वॉइस रेकार्डर मे दर्ज की गई। उक्त दर्ज वार्ता को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के समक्ष रेकार्डर को चालु कर सुनी गई तो वार्ता के अनुसार आरोपी श्री मौहम्मद जाहिद ने परिवादी श्री अल्पेश कुमार शर्मा की पत्नि श्रीमती कैलाशी रावत के स्थायीकरण को निदेशालय मे पदस्थापित श्री अक्षय से करवाये जाने की एवज मे परिवादी से 4,000 रू0 की रिश्वत राशि देने के उपरान्त कार्य करवाने की ताईद हुई। परिवादी श्री अल्पेश शर्मा को अन्य आरोपी श्री अक्षय

22

से वार्ता कर मांग सत्यापन कराने हेतु कहा गया तो उसने बताया कि मेरे पास उसके मोबाईल नं0 नहीं है एवं नाही मै उससे कभी मिला हूँ। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री मौहम्मद जाहिद से वार्ता कर उक्त व्यक्ति अक्षय के बाबत जानकारी लेकर मिलाने हेतु कहा गया तो उसने कहा कि आईन्दा और वार्ता कर अक्षय के बारे मे जानकारी ली जा सकती है। आज वार्ता करने पर उसको शंका हो सकती है। अतः आईन्दा वार्ता की जाकर निदेशालय स्थित अक्षय के बारे मे जानकारी ली जावेंगी। जिस पर परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था करने हेतु कहा गया तो उसने बताया कि अभी मेरे पास मे 4,000 रू0 की राशि नहीं है। मै एक-दो दिन मे व्यवस्था कर आपके समक्ष उपस्थित आ जाउंगा तथा निदेशालय स्थित व्यक्ति के बारे मे भी श्री मौहम्मद जाहिद से वार्ता की जाकर मांग सत्यापन की कार्यवाही की जावेंगी। तत्पश्चात परिवादी को गोपनीयता बरतने की आवश्यक हिदायत प्रदान कर कोई नए तथ्य प्रकाश मे आने पर शीघ्र ही सूचना देने का कह रूख्सत किया गया। कार्यालय के स्टाफ को भी उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान किये गए। आरोपी व परिवादी के मध्य वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता का वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड एवं प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज सुरक्षित हालत मे कार्यालय की आलमारी मे रखे गए। रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता की आईन्दा गवाहान व परिवादी के उपस्थित आने पर उनकी मौजूदगी मे फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार कर अग्रिम कार्यवाही अमल मे लाई जावेंगी। दिनांक 21.02.2023 समय 03.08 पी.एम. पर परिवादी श्री अल्पेश शर्मा ने जरिए दूरभाष अवगत कराया कि कल दिनांक को एसओ के कार्यालय मे उपस्थित रहने की पूर्ण सम्भावना है तथा मेरे पास रिश्वत राशि की व्यवस्था भी हो चुकी है। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को दिनांक 22.02.23 को समय करीब 10 एएम पर कार्यालय मे उपस्थित आने के निर्देश प्रदान किये। दिनांक 22.02.2023 को परिवादी श्री अल्पेश शर्मा उपस्थित कार्यालय आया व रिश्वत राशि साथ लाने हेतु अवगत कराया। पूर्व में दिनांक 20.02.2022 को आरोपी व परिवादी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता में उसकी पत्नी का स्थाईकरण करवाये जाने के बदले में चार हजार रू. की मांग किया जाना स्पष्ट है परन्तु आरोपी श्री मौहम्मद जाहिद द्वारा यह राशि किसको दी जानी है तथा आरोपी स्वयं के पास किसी प्रकार का कोई कार्य भी उसके स्तर पर लंबित नहीं है। अतः रिश्वत राशि मांग के लिए संबंधित लोकसेवक के बारे में जानकारी ली जाना आवश्यक है तथा परिवादी के कार्य के बारे में भी जानकारी ली जानी है। अतः पुनः रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करावाया जाना आवश्यक है। कार्यालय से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मंगवाया जाकर मैमोरी कार्ड को संधारित कर परिवादी को आवश्यक हिदायत प्रदान कर आरोपी श्री मौहम्मद जाहिद के मोबाईल पर समय करीब 01.18 पीएम पर जरिये वाहट्सएप्प कॉल वार्ता करवाई गई। दोनों के मध्य की गई वार्ता को परिवादी के माबाईल का स्पीकर ऑन कर वॉयस रिकॉर्डर में दर्ज की गई। दर्ज वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जायेगी। दर्ज वार्ता को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सुना गया तो दर्ज वार्ता के अनुसार परिवादी ने संबंधित व्यक्ति व उसके लंबित कार्य के बारे में जानकारी नहीं दी जाकर रूबरू वार्ता करने हेतु कहा गया तथा समस्त कार्य करवाकर दिए जाने की हां भरते हुए रिश्वत राशि लिए जाने की ताईद हुई। आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता के अनुसार दोनों के मध्य संबंधित व्यक्ति के बारे में जानकारी ली जाकर रूबरू वार्ता करवाई जाना आवश्यक है। अतः समय करीब 01.50 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाये जाने के लिए कार्यालय के श्री अर्जुन लाल कानि. 244 का परिवादी से परिचय करवाया जाकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी के साथ कार्यालय के सरकारी वाहन व चालक के सोजत सिटी पाली के लिए रवाना किया गया। समय करीब 06.45 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास कार्यालय के श्री अर्जुनलाल कानिस्टेबल ने जरिये दूरभाष अवगत कराया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 4.40 पीएम पर सोजत सिटी, जिला पाली पहुंचा, जहां आरोपी श्री मौहम्मद जाहिद नर्सिंग अधिकारी के बारे में राजकीय चिकित्सालय सोजत सिटी पहुंच कर आवश्यक जानकारी एवं आम छवि के बारे में पूछताछ की गई तो श्री मौहम्मद जाहिद का राजकीय चिकित्सालय सोजत सिटी में ही पदस्थापित होना जानकारी में आया तथा उसका आज अवकाश में होना बताया, जिस पर समय करीब 05.38 पीएम के आसपास परिवादी श्री अल्पेश कुमार के मोबाईल नम्बर 9784523399 से आरोपी श्री मौहम्मद जाहिद के मोबाईल नम्बर 8003821742 पर गाडी में बैठकर वार्ता करवाई गई तो उसने स्वयं को

रायपुर के आसपास होना बताते हुए राजकीय चिकित्सालय सोजत सिटी के बाहर पहुंच कर वार्ता करने हेतु कहा गया। उक्त दर्ज वार्ता को कर्यालय के डिजीटल वॉयस रिकोर्डर में दर्ज की गई तथा मैं व परिवादी सोजत सिटी में ही आरोपी के आने का इंतजार करने लगे। समय करीब 6.19 पीएम के आस–पास परिवादी द्वारा आरोपी के मोबाईल पर जरिये वाट्सअप पर वार्ता करवाई जाकर राजकीय चिकित्सालय सोजत के पास होना बाताया जिस पर आरोपी श्री मौहम्मद जाहिद ने स्वयं को दो मिनट बाद ही मिलने हेतु कहा। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकोर्डर में दर्ज की गई। समय करीब 6.23 पीएम के आस–पास आरोपी श्री मौहम्मद जाहिद अपनी मोटरसाईकिल नम्बर RJ22WS4386 लेकर चिकित्सालय के मुख्य द्वार के पास पहुंचा जिसे परिवादी ने पहचान कर आरोपी के बारे में मुझे अवगत कराया, जिस पर मेरे द्वारा परिवादी श्री अल्पेश कुमार को कार्यालय का डिजीटल वॉईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड चालु कर आरोपी से वार्ता करने हेतु राजकीय चिकित्सालय की ओर रवाना किया तथा उसके पीछे–पीछे मैं भी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही को देखने लगा। आरोपी ने परिवादी को अपनी मोटरसाईकिल पर बिठाकर राजकीय चिकित्सालय सोजत सिटी में स्थित राधे कृष्ण कैंटिन ले गया जहां मुडियों पर बैठकर वार्ता करते हुए स्पष्ट नजर आ रहे थे। समय करीब 6.35 पीएम के आस–पास आरोपी राधे कृष्ण कैंटिन से रवाना होकर अपनी मोटरसाईकिल से बाहर चला गया तथा परिवादी श्री अल्पेश कुमार भी कैंटिन से चलकर राजकीय चिकित्सालय के बाहर आकर मेरे से मिला। मैंने परिवादी से रिकोर्डर निकालकर बंद किया जाकर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि, मेरी श्री मौहम्मद जाहिद से वार्ता हो चुकी है तथा उसने वार्ता में मेरे से मेरी पत्नी श्रीमती कैलाशी रावत के स्थायीकरण को निदेशालय, जयपुर में कार्यरत श्री अक्षय से करवाने की एवज में चार हजार रूपये की मांग करते हुए मौके पर ही मेरे से 1,500 रूपये प्राप्त किये है तथा शेष 2,500 रूपये आईन्दा देने हेतु कहा है तथा समस्त स्थायीकरण की कार्यवाही अक्षय कुमार से भली भांती बातचीत होने के उपरांत जोधपुर रेंज में स्थित समस्त नर्सिंग कार्मिकों का चार– चार हजार रूपये लिये जाकर स्थायीकरण करवाने की वार्ता की है तथा मेरी पत्नी के कार्य को भी करवाने की हां भरी है। उक्त समस्त वार्ता कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकोर्डर में दर्ज की गई है। परिवादी द्वारा बताए गये कथनों की ताईद हेतु कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकोर्डर के मैमोरी कार्ड में दर्ज आवाज को चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये कथनों की ताईद हुई। मांग सत्यापन के अनुसार परिवादी श्री अल्पेश कुमार से उसकी पत्नी श्रीमती कैलाशी रावत नर्सिंग ऑफिसर का स्थायीकरण निदेशालय में पदस्थापित श्री अक्षय से करवाने के बदले में अक्षय के लिये चार हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग करते हुए मौके पर 1,500 रूपये प्राप्त कर शेष 2,500 रूपये आईन्दा मांग की जाने की ताईद हुई है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय के श्री अर्जुनलाल कानिस्टेबल को आवश्यक हिदायत प्रदान कर परिवादी को साथ लेकर कार्यालय में उपस्थित आने के निर्देश प्रदान किये। उसी रोज समय करीब 10.00 पीएम पर कार्यालय का श्री अर्जुनलाल कानिस्टेबल व परिवादी श्री अल्पेश कुमार कार्यालय में उपस्थित आये तथा अर्जुनलाल द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को रिश्वत राशि मांग सत्यापन का मूल मैमोरी कार्ड मय डिजीटल वॉईस रिकोर्डर सुपुर्द करते हुए रिश्वत राशि मांग सत्यापन के बारे में उपरोक्त कथन बताए तथा तथा दर्ज वार्ता के बारे में मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से आवश्यक पूछताछ की तो परिवादी ने अर्जुनलाल कानिस्टेबल द्वारा बताये गये कथनों की ताईद करते हुए बताया कि मेरी आरोपी श्री मौहम्मद जाहिद से राजकीय चिकित्सालय सोजत सिटी में बनी हुई राधे कृष्ण कैंटिन पर आमने सामने रूबरू वार्ता हुई है। वार्ता के अनुसार उसने मेरे से मेरी पत्नी श्रीमती कैलाशी देवी के स्थायीकरण को निदेशालय में पदस्थापित कर्मचारी श्री अक्षय से करवाई जाने के बदले में 4,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करते हुए मौके पर मेरे से 1,500 रूपये प्राप्त किये जाकर शेष 2,500 रूपये और मांग के अनुसरण में लिये जाने हेतु कहा है। मेरे व आरोपी के मध्य हुई वार्ता के अनुसार आरोपी श्री मौहम्मद जाहिद ने स्वयं को अक्षय के मार्फत जोधपुर रेंज के अन्य नर्सिंग कर्मियों का भी स्थायीकरण रिश्वत राशि लेकर किये जाने एवं उसका दलाल होने की वार्ता की है, जो कार्यालय के डिजीटज वॉईस रिकोर्डर के मैमोरी कार्ड में दर्ज है। परिवादी द्वारा बताये गये कथनों की ताईद हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मैमोरी कार्ड में दर्ज आवाज को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये कथनों की ताईद हुई। मांग सत्यापन के अनुसार परिवादी श्री अल्पेश कुमार से उसकी पत्नी

[redacted]

श्रीमती कैलाशी रावत नर्सिंग ऑफिसर का स्थायीकरण निदेशालय में पदस्थापित श्री अक्षय से करवाने के बदले में अक्षय के लिये चार हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग करते हुए श्री मौहम्मद जाहिद द्वारा मौके पर 1,500 रूपये प्राप्त कर शेष 2,500 रूपये आईन्दा मांग की जाने की ताईद हुई है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि लेन–देन के संबंध में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि, आरोपी ने रिश्वत राशि 10.03.2023 के आसपास लेने व कार्य करने हेतु कहा है। अतः रिश्वत राशि का आदान प्रदान मेरी पत्नी के स्थायीकरण का कार्य की जानकारी होने व आरोपी से वार्ता होने के उपरांत किया जाना उचित है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि 2,500 रूपये लेकर आने व आरोपी से वार्ता या सम्पर्क होने पर सूचित कर उपस्थित आने के निर्देश प्रदान कर आवश्यक हिदायत देकर रूख्सत किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय के स्टाफ को भी आवश्यक हिदायत प्रदान की गई। आईन्दा परिवादी व आरोपी के सम्पर्क होने के उपरांत गवाहान की तलबी की जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट वार्ता एवं अग्रिम ट्रैप कार्यवाही सम्पादित की जावेगी। रिश्वत राशि मांग सत्यापन मूल डिजीटल वॉईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित मन् उप अधीक्षक पुलिस की आलमारी में रखा गया। परिवादी के उपस्थित आने पर आईन्दा अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। समस्त हालात अफसरान को अर्ज किये। दिनांक 21.5.23 को समय करीब 10.05 एएम पर परिवादी श्री अल्पेश कुमार शर्मा कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि मेरी पत्नि श्रीमती कैलाशी रावत के स्थायीकरण व फिक्शेसन का कार्य करवाने की एवज मे श्री मौहम्मद जाहिद नर्सिंग ऑफीसर राजकीय चिकित्सालय सोजत सिटी जिला पाली द्वारा मेरे से रिश्वत राशि की मांग करने व श्री मौहम्मद जाहिद को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाने बाबत दिनांक 20.02.23 को लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही के दौरान दिनांक 20.02.23 व 22.02.23 को जरिए मोबाईल फोन एवं आमने–सामने हुई वार्ता मे श्री मौहम्मद जाहिद ने मुझसे 4,000 रू0 की रिश्वत राशि की मांग करते हुए मौके पर मेरे से 1,500 रू0 प्राप्त किए तथा शेष 2,500 रू0 कार्य होने के उपरान्त लिए जाने की वार्ता की गई। मेरी पत्नि का दिनांक 18.03.23 को जयपुर निदेशालय से स्थायीकरण आदेश जारी होने के बाद दिनांक 31.03.23 को महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट जयपुर पर नर्सिंग ऑफीसर के पद पर पदस्थापन हो चुका है। मेरा कार्य भी सम्बन्धित विभाग से पूर्ण हो चुका है तथा आरोपी श्री मौहम्मद जाहिद भी अब बकाया राशि के बारे मे मुझसे कोई वार्ता भी नहीं कर रहा है। मेरे द्वारा श्री मौहम्मद जाहिद से सम्पर्क करने की कई बार कोशिश की पर उसने मेरा मोबाईल फोन भी रिसीव नहीं किया। सम्भवतः श्री मौहम्मद जाहिद को कार्यवाही की आशंका होने से वह मेरे से रिश्वत राशि का लेन–देन नहीं करना चाहता है एवं नाही मेरे से मोबाईल पर किसी प्रकार की वार्ता कर रहा है। अब उसे शेष रिश्वत राशि देना सम्भव नहीं है। परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अपनी पत्नि श्रीमती कैलाशी रावत के फिक्शेसन व पदस्थापन आदेश तथा विवाह प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी से मौखिक पूछताछ की तो परिवादी ने उपरोक्त तथ्यों की ताईद करते हुए अग्रिम ट्रेप कार्यवाही सम्भव नहीं होने बाबत बताया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट व दस्तावेज बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किये गए। परिवादी के बताए अनुसार व प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट के आधार पर अब अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाना सम्भव नहीं है। अतः परिवादी व आरोपी के मध्य दिनांक 20.02.23 व 22.02.23 को वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के सम्बन्ध मे परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जानी है। अतः कार्यालय के श्री कपिल कानि0 को दो स्वतन्त्र गवाहान की तलबी किये जाने हेतु पत्र जारी कर मुख्य प्रबंधक(सी0बी0एस0) रा0रा0प0प0निगम अजमेर के नाम जारी कर रवाना किया गया। रवानाशुदा कानि0 श्री कपिल कानि0 मय दो स्वतन्त्र गवाहान के कार्यालय में उपस्थित आये जिनको मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम (1) श्री गौतम प्रकाश डयूटी ऑफीसर सी0बी0एस0 डिपो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अजमेर (2) श्री हनुमान प्रसाद हाल सहायक यातायात निरीक्षक सी0बी0एस0 डिपो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अजमेर होना अवगत कराया। उपस्थित गवाहान को ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि गोपनीय कार्यवाही की प्रक्रिया हेतु फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार करने मे आपकी स्वतन्त्र गवाहान के रूप में आवश्यकता है। उपस्थित गवाहान ने गोपनीय कार्यवाही के दौरान स्वतन्त्र मौतबिर बनने की मौखिक स्वीकृति प्रदान

की। तत्पश्चात उपस्थित परिवादी श्री अल्पेश कुमार तथा तलबशुदा गवाहान श्री गौतम प्रकाश डयूटी ऑफीसर एवं श्री हनुमान प्रसाद सहायक यातायात निरीक्षक सी0बी0एस0 डिपो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अजमेर का आपस में एक दूसरे से परिचय करवाया गया। उपस्थित स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मांग सत्यापन के समय दर्ज की गयी वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड निकाल कर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में अवगत कराया। अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गवाहान को पढकर सुनाया गया। गवाहान द्वारा प्रार्थना पत्र सुनकर एवं पढकर अंकित तथ्यों व संलग्न दस्तावेजो के बारे में परिवादी से पूछताछ कर गवाहान ने स्वेच्छा से अपनी सन्तुष्टि जाहिर की। डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में आरोपी श्री मौहम्मद जाहिद नर्सिंग आफीसर व परिवादी श्री अल्पेश कुमार के मध्य दिनांक 20.02.23 व 22.02.23 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय दर्ज वार्ता को कार्यालय के श्री कपिल कानिस्टेबल से वाईस रिकार्डर मय मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से ऑपरेट कर परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द–ब–शब्द तैयार की गई। फर्द पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल मैमोरी कार्ड से कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से 2 सीडियॉ तैयार की गई। मूल मैमोरी कार्ड को कपड़े की थैली में रखकर सिल्ड कर न्यायालय हेतु तथा एक सीडी को पृथक कपड़े की थैली में सिल्ड कर आरोपी हेतु तैयार की गई एवं अन्य शेष दूसरी सीडी को कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखी गई। कपड़े की थैलियों को सिल्डचिट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर जमा मालखाना कराया गया तथा कागज के लिफाफे में अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखी सीडी को शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी द्वारा बताये गए उक्त तथ्यों के आधार पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही सम्भव नहीं होने बाबत उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया। **आरोपी** श्री मौहम्मद जाहिद **का सक्षम अधिकारी से प्राप्त सेवा विवरण के आधार पर आरोपी का नाम मौहम्मद जाहिद ना होकर रेकार्ड अनुसार सही नाम श्री जाहिद मौहम्मद पुत्र श्री अब्दुल हमीद हाल नर्सिंग ऑफिसर राजकीय चिकित्सालय सोजत सिटी जिला पाली होना ज्ञात हुआ।**

उपरोक्त समस्त कार्यवाही से आरोपी श्री जाहिद मौहम्मद नर्सिंग आफीसर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोजत सिटी जिला पाली द्वारा लोकसेवक के पद पर पदस्थापित रहकर अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री अल्पेश कुमार की पत्नि श्रीमती कैलाशी देवी रावत के निदेशालय (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर मे पदस्थापित श्री अक्षय कुमार कनिष्ठ लिपिक के नाम का दुरूपयोग कर स्वयं के लिए परिवादी श्री अल्पेश कुमार से उसकी पत्नि का स्थायीकरण आदेश जारी करवाये जाने एवं फिक्सेशन करवाने की एवज मे 4,000 रू0 की रिश्वत राशि की मांग करते हुए वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन मौके पर 1,500 रू0 रिश्वत राशि प्राप्त करना एवं शेष 2,500 रू0 की मांग किया जाना स्पष्ट प्रमाणित पाया गया है। दौराने मांग सत्यापन वार्ता मे निदेशालय (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर मे पदस्थापित श्री अक्षय कुमार कनिष्ठ लिपिक व अन्य की आरोपी श्री जाहिद मौहम्मद से आपस मे मिलीभगत एवं षडयन्त्र मे शामिल होने के सम्बन्ध मे अनुसंधान से भूमिका स्पष्ट होगी। अतः आरोपी श्री जाहिद मौहम्मद नर्सिंग ऑफीसर, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोजत सिटी, जिला पाली के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का कारित करना पाया जाता है। आरोपी श्री जाहिद मौहम्मद हाल नर्सिंग ऑफिसर राजकीय चिकित्सालय सोजत सिटी जिला पाली के विरूद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है।

(राकेश कुमार शर्मा)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
स्पेशल यूनिट–अजमेर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राकेश कुमार वर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री जाहिद मौहम्मद पुत्र श्री अब्दुल हमीद, नर्सिंग ऑफिसर राजकीय चिकित्सालय सोजत सिटी जिला पाली के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 160/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(रणधीर सिंह)
उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांकः 1205-08 दिनांक 22.6.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. निदेशक(अराजपत्रित),निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. अजमेर।

उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।